प्रेस विज्ञप्ति

27.05.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुवाहाटी आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 17 के तहत 26.05.2026 की देर रात्रि को तलाशी अभियान संचालित किया, जो गुवाहाटी एवं तिनसुकिया (असम) तथा नई दिल्ली स्थित विभिन्न परिसरों में बड़े पैमाने पर अवैध आईपीएल क्रिकेट सट्टेबाजी रैकेट एवं उससे अर्जित अपराध की आय के धन शोधन संबंधी जांच के सिलसिले में पूरी रात जारी रहा।

ईडी ने अपराध शाखा पुलिस थाना, गुवाहाटी द्वारा दीपेश बजोरिया, रोनक बजोरिया, राजेश जैन एवं अन्य के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 तथा असम गेम एवं बेटिंग अधिनियम, 1970 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच प्रारंभ की। तत्पश्चात, 30.03.2026 को ईसीआईआर में परिशिष्ट दर्ज किया गया, जिसमें तिनसुकिया पुलिस थाना द्वारा बिकाश बेरिया, नितिन बेरिया, सुप्रित बिस्वास एवं अन्य के विरुद्ध दर्ज दो अन्य प्राथमिकी को सम्मिलित किया गया, जो एक परस्पर संबद्ध सिंडिकेट द्वारा संचालित समान अवैध आईपीएल सट्टेबाजी गतिविधियों से संबंधित थीं।

जांच से यह उजागर हुआ है कि आरोपी व्यक्ति आईपीएल क्रिकेट मैचों पर एक सुव्यवस्थित, पदानुक्रमित एवं प्रौद्योगिकी-सक्षम अवैध सट्टेबाजी एवं जुआ रैकेट का संचालन कर रहे थे। व्हाट्सएप, टेलीग्राम एवं इंस्टाग्राम जैसे एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म तथा विदेशी ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों के माध्यम से मोबाइल फोन का उपयोग कर सट्टे लगाए जाते थे, स्वीकार किए जाते थे तथा उनका निपटान किया जाता था। सट्टेबाजी से अर्जित धनराशि नकद के साथ-साथ डिजिटल माध्यमों (यूपीआई/बैंक अंतरण) से प्राप्त एवं वितरित की जाती थी, जिसके पश्चात उसे गुवाहाटी, तिनसुकिया एवं दिल्ली में फैले परिवारजनों एवं सहयोगियों के नेटवर्क के माध्यम से परतदार बनाकर, छिपाकर तथा बेदाग संपत्ति के रूप में प्रदर्शित किया जाता था।

तलाशी अभियान दीपेश बजोरिया, रोनक बजोरिया, राजेश जैन, विकास अग्रवाल, सुप्रित बिस्वास, बिकाश बेरिया, नितिन बेरिया एवं दुर्गा प्रसाद बेरिया के आवासीय परिसरों तथा गुवाहाटी में "रॉयसी" (पूर्व में "प्लेबॉय") नाम से संचालित एक वाणिज्यिक परिसर में संचालित किया गया।

तलाशी अभियान के दौरान अनेक अपराध-संकेती साक्ष्य, जो मुख्यतः डिजिटल उपकरणों (जिसमें मोबाइल फोन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक भंडारण माध्यम सम्मिलित हैं) में संग्रहीत थे तथा जिनमें सट्टेबाजी लेनदेन के अभिलेख, सट्टेबाजों एवं उप-एजेंटों के साथ कूटबद्ध संचार तथा अपराध से अर्जित आय के संचलन से संबंधित डिजिटल विवरण सम्मिलित थे, प्राप्त एवं जब्त किए गए हैं।

तलाशी लिए गए परिसरों से 13 लाख रुपये की बेहिसाबी नकदी भी प्राप्त एवं जब्त की गई है। तलाशी अभियान के दौरान अपराध से अर्जित आय से प्राप्त किए जाने के संदेह में तीन उच्च श्रेणी के मोटर वाहन, अर्थात एक मर्सिडीज-बेंज कार, एक एमजी हेक्टर कार तथा एक टोयोटा फॉर्च्यूनर कार भी जब्त की गई हैं।

इसके अतिरिक्त, कई बैंक खातों, जिनका उपयोग अवैध आईपीएल सट्टेबाजी गतिविधियों में किए जाने तथा अपराध से अर्जित आय के प्रवाह में किए जाने का पता चला है, को उक्त आय के किसी भी आगे के संचलन अथवा अपव्यय को रोकने के उद्देश्य से फ्रीज कर दिया गया है।

आगे की जांच जारी है।